

## **अध्याय 13**

**रियासतें, परमिटया के प्राप्तकर्ता के विवरण**  
**लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान**

**[ धारा 4 (1) (बी) (X!!!) ]**

**निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक कार्यक्रम / योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों**  
**के नाम और पते प्रदान करें।**  
**संस्थागत लाभार्थी**

विभाग में यदि कोई रियायत देने वाले कार्य, परमिट या अधिकार किसी को जारी किये हो तो उनसे लाभान्वितों का विवरण :- विभाग में ऐसे कोई कार्य संचालित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।